


कार्यालय नगर पंचायत, लातेहार।

कार्यालय आदेश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरकार के प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 40/दिनांक 04.01.2016 के आलोक में नगर पंचायत, लातेहार अंतर्गत झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) नियमावली- 2013 एवं झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) संशोधन नियमावली- 2015 में किये गये प्रावधानों के आलोक में चरणबद्ध तरीके से होल्डिंग कर का निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली हेतु मुख्य पथों का सर्वेक्षण नगर पंचायत, लातेहार में पदस्थापित नगर प्रबंधकों के द्वारा की गई है। किये गये सर्वेक्षण के उपरांत मुख्य पथों को निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जाता है:-

1. अचल कार्यालय से ललन सिंह के घर तक (20 फीट चौड़ी सड़क)
2. आश्रम विद्यालय से नौरंग चौक तक (23 फीट चौड़ी सड़क)
3. धर्मपुर मोड़ से लेकर बाईपास चौक चरमुहान तक (22 फीट चौड़ी सड़क)


25/01/16
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार।
25/01/16

ज्ञापांक: 130 / दिनांक 25.01.16


प्रतिलिपि:- नगर पंचायत, लातेहार के सूचना पट्ट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि:- डी0आई0ओ0, एन.आई.सी., लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन, एन.आई.सी. के वेबसाईड पर प्रकाशन करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- उपायुक्त, लातेहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास विभाग, रांची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- सरकार के प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची को सादर सूचनार्थ समर्पित।


25/01/16
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, लातेहार।
25/01/16